6 करोड़ से अधिक के संदेहास्पद ट्रांजेक्शन, 16 म्यूल बैंक खाताधारकों पर गिरी पुलिस की गाज

❑ थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत कुल 17 बैंक खातों में साइबर ठगी के माध्यम से कुल 70,83,519 रूपये ठगी की रकम की गई थी प्राप्त एवं बैंक खातों में दर्ज शिकायत के अलावा कुल 6,00,00000/- (छ: करोड़ रुपये लगभग) के संदेहास्पद ट्रांजेक्शन की जानकारी प्राप्त

राजनांदगांव-रायपुर । आरएनएस

वर्तमान में बढ़ रहे सायबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु केन्द्र सरकार के गृहमंत्रालय विभाग द्वारा सायबर अपराधियों से संबंधित डाटा, साइबर ठगी में प्रयुक्त बैंक खातों की जानकारी को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र के समन्वय पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ साझा किया जा रहा है। उसी क्रम में बढ़ते हुये साइबर अपराधों के मद्देनजर साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जन जागरूकता एवं सायबर अपराधियों एवं साइबर ठग गिरोह को म्यूल बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले गिरोह पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग के द्वारा जिले में मिशन साइबर सुरक्षा अभियान की शुरूआत की गई है। इस अभियान के तहत समन्वय पोर्टल के माध्यम से थाना बंसतपुर क्षेत्रान्तर्गत अनुसार एक्सिस बैंक शाखा राजनांदगांव जिला राजनांदगांव में कुल 06 बैंक खातों जिनका उपयोग विभिन्न साइबर अपराधों में प्रयोग किया गया है को चिन्हांकित कर उक्त खाता धारकों के विरूद्ध थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 113/2025, धारा 317(2), 317(4), 317 (5), 111 (3) (5) बीएनएस के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली रमेन्द्र सिंह एवं थाना प्रभारी बंसतपुर निरीक्षक एमन साहू एवं प्रभारी सायबर सेल निरीक्षक विनय कुमार पम्मार के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर आरोपी 01. मोहित जयसिंघानी 02. शरद कुमार हरिहारनो 03. प्रवेश मेश्राम 04. गौरव चौहान से 06 बैंक खाता धारकों में कुल 27,32,900 रु. जमा होना पाया गया। आरोपियों से पृथक-पृथक पूछताछ किया गया जो अपना जुर्म करना स्वीकार किया गया विवेचना में आरोपीयो का कृत्य अपराध धारा का घटित पाये जाने से विधिववत गिरफ्तार न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया जा रहा है प्रकरण के अन्य फरार आरोपी की पता तलास की जा रही है। दर्ज शिकायत के अलावा कुल 2,74,00000/- (दो करोड़ चौहत्तर लाख रूपये) के संदेहास्पद ट्रांजेक्शन की जानकारी प्राप्त हुई है। संदेहास्पद ट्रांजेक्शन के संबंध में अग्रिम विवेचना की जा रही है। इसी प्रकार थाना कोतवाली के अपराध क्र0 104/25, 105/25, 106/25, 107/25, 108/25, 109/25, 110/25 धारा 317 (2), 317 (4), 317(5), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता के तहत पंजाब नेशनल बैंक राजनांदगांव, इंडियन ओव्हरसीज बैंक राजनांदगांव, युनियन बैंक राजनांदगांव, केनरा बैंक राजनांदगांव, बैंक ऑफ महाराष्ट्र राजनांदगांव, बंधन बैंक राजनांदगांव कुल 17 बैंक खातों से कुल 7083519 रूपये जमा होना पाया गया। खातों की जांच होने पर आरोपी (1) एवन दास मानिकपुरी, (2) चम्पेश कुमार देवांगन, (3) नितेश साहू, (4) पूनमचंद साहू, (5) शेख फैजान,(6) मिहिर साहू (7) चेतन मंडावी,(8) नागेश्वर बोरकर, (9) हिमांशु पात्रे, (10) मोह0 सलीम, (11) चेतन निर्मलकर,(12) विजय कुमार देवांगन से पृथक-पृथक से पूछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार किये विवेचना में आरोपीयो का कृत्य अपराध धारा का घटित पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया जायेगा। प्रकरण के अन्य फरार आरोपी की पता तलाश जारी है। दर्ज शिकायत के अलावा कुल 6,00,00000/- (छ: करोड़ रूपये लगभग) के संदेहास्पद ट्रांजेक्शन की जानकारी प्राप्त हुई है। संदेहास्पद ट्रांजेक्शन के संबंध में अग्रिम विवेचना की जा रही है। इसी प्रकार थाना घुमका क्षेत्र के अपराध क्रमांक 11/25 धारा 317(2), 317(4), 317 (5), 111 (3) (5) बीएनएस के फरार आरोपी लक्ष्मण कुमार पिता प्यारे लाल शान उम्र 29 वर्ष, निवासी हरडुवा, थाना घुमका, जिला राजनांदगांव को किया गया गिरफ्तार।

राजनांदगांव पुलिस की अपील:- अपना व्यक्तिगत बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेक बुक व रजिस्टर मोबाईल नंबर की सिम को किसी के बहकावे में आकर किसी अन्य को न दें। स्वयं उपयोग करे अगर खाते में किसी प्रकार की अवैध या संदेहास्पद लेनदेन की जानकारी होने पर पुलिस को सूचना अवश्य दे। अवैध स्त्रोतों से प्राप्त रकम को अर्जित करने के लिए अपना व किसी अन्य का बैंक खाता, एटीएम कार्ड, रजिस्टर्ड सिम, चेकबुक को दूसरे को बेचना, किराये व कमीशन पर देना दण्डनीय अपराध है। अवैध गतिविधियों से रकम को बैंक खाता में प्राप्त करने पर बैंक खाता धारक व संलिप्त के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है।

महत्वपूर्ण एवं खास

पीसीसीएफ के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने की रद्द

बिलासपुर-रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वन विभाग के पीसीसीएफ (प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट) वी श्रीनिवास राव की एपेक्स स्केल पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी सुधीर अग्रवाल ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने 1990 बैच के वी श्रीनिवास राव की नियुक्ति को वरिष्ठता नियमों के खिलाफ बताया था।याचिकाकर्ता का तर्क था कि वरिष्ठता के आधार पर वे इस पद के लिए अधिक पात्र थे और न्यूनतम सेवा अवधि पूरी किए बिना जूनियर अधिकारी को नियुक्त किया गया, जो नियमों के खिलाफ है। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि (एपेक्स स्केल) पद चयन-आधारित होता है, न कि पदोन्नति-आधारित। इस पद के लिए मेधा, दक्षता, निष्ठा और उपयुक्तता को प्राथमिकता दी जाती है, न कि केवल वरिष्ठता को।विशेष चयन समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन में वी श्रीनिवास राव की वार्षिक प्रदर्शन आकलन रिपोर्ट 49.62/50 अंक रही, जबकि याचिकाकर्ता सुधीर अग्रवाल को 48/50 अंक मिले। कोर्ट ने इस आधार पर राव की नियुक्ति को उचित और नियमों के अनुरूप माना।हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर द्वारा 26 जून 2024 को दिए गए फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। इसलिए, कोर्ट ने केट के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी और वी श्रीनिवास राव की नियुक्ति को वैध करार दिया।

महिला से गाली-गलौच कर दी धमकी, अपराध दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। घर घुसकर एक विवाहिता से गाली-गलौच कर मारपीट का प्रयास करने तथा जान से मारने की धमकी देने वाले रिश्तेदारों के खिलाफ पुलगांव थाना में अपराध दर्ज किया गया है। प्रार्थीया सोनम वर्मा पति विनय वर्मा निवासी पोलसायपारा दुर्ग ने शिकायत दर्ज कराया कि दिनांक 05.03.2025 को पुरूषोत्तम वर्मा, प्रतिक वर्मा, यश वर्मा द्वारा हमारे जमीन मे कौन घुसा है बोलकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर घर के बाहर ताला लगाकर एवं जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त सभी आरोपी प्रार्थीया के चाचा ससुर व देवर है। प्रार्थीया की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया है।

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम ने पुस्तक घोटाले के बाद उठाए सख्त कदम, क्यूआर कोड से होगी ट्रैकिंग

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम ने पुस्तक घोटाले के बाद गड़बड़ी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। आगामी सत्र से पुस्तकों की बिक्री और वितरण प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए जाएंगे। अब पुस्तकों को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया है, जिसे न तो बेचा जा सकेगा और न ही खरीदा जा सकेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले खरीदार और विक्रेता दोनों को दोषी माना जाएगा। साथ ही, पुस्तकों में लगे त्तक्र कोड से उनकी पूरी जानकारी ट्रैक की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के जनरल मैनेजर डीकेश पटेल ने बताया कि पुस्तक घोटाले और उनकी अवैध बिक्री को रोकने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब पुस्तकों में लगे त्तक्र कोड को स्कैन करते ही यह पता चल जाएगा कि पुस्तक किस संभाग या संकुल के लिए भेजी गई थी, उसका नंबर क्या है और यह कहां से संबंधित है। इससे पुस्तकों की ट्रैकिंग आसान हो जाएगी।

पहले पुस्तकों को कबाडियों द्वारा आसानी से खरीद लिया जाता था, लेकिन अब पुस्तकों पर स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि यह सरकारी संपत्ति है और इसे न तो बेचा जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर खरीदार और विक्रेता दोनों पर कार्रवाई की जाएगी।

त्तक्र कोड से मिलेगी पूरी जानकारी- पहले पाठ्यपुस्तकों में लगे त्तक्र कोड को स्कैन करने पर केवल पुस्तक की डिजिटल जानकारी मिलती थी, लेकिन अब इसे स्कैन करने पर पुस्तक का पूरा विवरण प्राप्त होगा। इसमें पुस्तक का नंबर, संभाग, संकुल और अन्य जानकारियां शामिल होंगी। इससे पुस्तकों की गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो जाएगा।

आगामी सत्र से लागू होंगे नए नियम- आगामी सत्र में वितरित होने वाली पुस्तकों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। पाठ्यपुस्तक निगम ने इसके लिए रणनीति बनाकर काम शुरू कर दिया है और पुस्तकों की प्रिंटिंग जारी है।

कक्षा 1 से 10 तक नि:शुल्क पुस्तकें- छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। प्रदेश के लगभग 55,000 सरकारी और निजी स्कूलों में पढऩे वाले 56 लाख विद्यार्थियों को यह सुविधा प्रदान की जाती है।

पिछले सत्र में हुई थी लाखों पुस्तकों की अवैध बिक्री- पिछले सत्र में गरीब बच्चों के लिए जारी की गई लाखों पुस्तकों को कबाडिय़ों को बेच दिया गया था। इस मामले पर जमकर हंगामा हुआ था और मुख्यमंत्री के निर्देश पर कई अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। मामले की जांच के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और दोषी लोगों को नोटिस जारी किया गया है।

बकाया वेतन को लेकर 100 से अधिक स्वच्छता दीदियों ने किया प्रदर्शन

भिलाई नगर-रायपुर । आरएनएस

भिलाई नगर निगम में कार्यरत 100 से अधिक स्वच्छता दीदियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सफाईकर्मियों का कहना है कि उन्हें बीते तीन महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि जब वेतन को लेकर सवाल किए जाते हैं, तो सुपरवाइजर उन्हें धमकाते हैं और यहां तक कि चप्पल से मारने की धमकी तक देते हैं। इस तरह की स्थिति ने निगम प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदर्शनकारी महिला सफाईकर्मियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनके बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। साथ ही, वे यह भी चाहती हैं कि सुपरवाइजर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और भविष्य में वेतन समय पर देने की गारंटी सुनिश्चित की जाए। इस पर निगम आयुक्त का कहना है कि जल्द ही सफाईकर्मियों के वेतन का भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, लगातार तीन महीने तक वेतन न मिलना सफाईकर्मियों के लिए बेहद मुश्किल हालात पैदा कर रहा है।

दिनदहाड़े 1.50 लाख की उठाईगिरी से मचा हड़कंप

कोरबा-रायपुर । आरएनएस

शहर में दिनदहाड़े उठाईगिरी की घटना सामने आई है, जहां बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने कार का शीशा तोडक़र 1.5 लाख रुपये लेकर फरार हो गए. इस घटना से पुलिस महकमे में हडक़ंप मच गया है. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है.यह पूरा मामला मानिकपुर क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार, तुलसी नगर निवासी पीडीएस ट्रांसपोर्टर शैलेंद्र शर्मा शुक्रवार को टीपी नगर स्थित आईडीबीआई बैंक से 2 लाख रुपये निकाला था. निहारिका स्थित परिसर में उसने एक व्यवसायी को 50,000 रुपये दिए, जबकि 1.5 लाख रुपये अपनी कार की ग्लव बॉक्स में रखा हुआ था. जैसे ही वह मानिकपुर चौकी क्षेत्र के बुधवारी मुख्य मार्ग पर पहुंचा, तभी बाइक सवार दो नकाबपोश युवक आए और पीडीएस ट्रांसपोर्टर के कार का शीशा दिया उसके बाद आरोपी डेढ़ लाख रुपये नगदी लेकर फरार हो गए.घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन, मानिकपुर और सीएसईबी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं आरोपियों की पहचान के लिए घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

रिश्वतखोर पटवारी की कुंडली खंगालने के निर्देश

बिलासपुर-रायपुर । आरएनएस

जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज कराने और ऋण पुस्तिका जारी करने के नाम पर रिश्वत लेने वाले पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। किसान से 30 हजार रुपए लेने के बावजूद काम न करने पर उसने पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लिया और एसडीएम से शिकायत कर दी। जांच के बाद आरोप सही पाए गए, जिसके बाद कार्रवाई की गई। रतनपुर के पचरा गांव के किसान केवलदास मानिकपुरी ने पटवारी अनिकेत साव (हल्का नंबर-1) से जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज कराने और ऋण पुस्तिका बनवाने के लिए आवेदन किया था। इसके बदले पटवारी ने 60 हजार रुपए की मांग की। किसान ने ब्याज पर कर्ज लेकर पहली किश्त के रूप में 30 हजार रुपए पटवारी को दिए और छिपकर रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लिया। 26 दिसंबर 2024 को पैसे देने के बावजूद पटवारी ने काम नहीं किया और आचार संहिता व हड़ताल का बहाना बनाकर टालमटोल करता रहा। इस दौरान किसान को अपने कर्ज का ब्याज भी चुकाना पड़ा, जिससे वह और परेशान हो गया था। थक हारकर केवलदास ने कोटा एसडीएम तन्मय खन्ना को रिश्वत का वीडियो सौंपकर शिकायत की। एसडीएम ने मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी। जांच के दौरान वीडियो और सोशल मीडिया पर मौजूद सबूतों की पुष्टि हुई। पटवारी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।एसडीएम ने निर्देश दिए हैं कि पटवारी अनिकेत साव के कार्यकाल के दौरान किए गए सभी कामों की जांच की जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने और कितने लोगों से अवैध वसूली की है।

छत्तीसगढ़ में चार डिग्री लुढ़का दिन का पारा, गर्मी से मिलेगी राहत, इन हिस्सों में गुलाबी ठंड का अहसास

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय ठंड लगने लगी है। दरअसल, दिन का पारा चार डिग्री गिरावट हुई है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

इसके वजह से प्रदेश में नमी का मात्रा बढ़ गया है। वहीं प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का भी असर देखने को मिला है, जिसके वजह से ठंड लगने लगी है। आज गुरुवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। सबसे गर्म राजनांदगांव रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ 9 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। आगामी दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे ठंड बढऩे की संभावना है। मौसम एक्सपर्ट ने बताया कि उत्तरी और मध्य भागों में अगले 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री औ न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री गिरावट होने की संभावना है।

आज राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रात और सुबह के समय ठंड लगने लगी है। रायपुर में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं बुधवार को प्रदेश में सबसे गर्म राजनांदगांव रहा है। यहां अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री दर्ज किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 13 डिग्री दर्ज किया गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अत: शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

अधजली महिला की हत्या का हुआ खुलासा, प्रेमी शिक्षक ही निकला कातिल

कोरबा । आरएनएस

महिला की अधजली लाश की मामले में पुलिस के हाथ आरोपी तक लग गए है। कातिल और कोई नहीं बल्कि मृतिका का ही वो शिक्षक आशिक है जो महिला को लंबे समय से लिव इन में रखा हुआ था। दरअसल कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में रावा गांव के नजदीक राम टोक पहाड़ पर तीन दिन पहले एक महिला की अधजली लाश बरामद की गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मृतका की पहचान 28 वर्षीय शशि कला के रूप में की। शशि कला ग्राम लाद की निवासी थी, जिसका विवाह लगभग छह वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह के 15 दिनों के भीतर ही वह ससुराल छोडक़र मायके आ गई और फिर अपने पूर्व शिक्षक मिलन दास के साथ कटघोरा में किराए के मकान में रहने लगी।

अवैध संबंध और हत्या की कहानी

सूत्रों के मुताबिक मिलन दास, जो एक शिक्षाकर्मी था, ने शशि कला को पढ़ाने के दौरान ही उसके साथ अवैध संबंध बना लिए थे। बाद में उसने शशि का विवाह कराया, लेकिन वह 15 दिन में ही ससुराल छोडक़र वापस आ गई और मायके जाने के बजाय मिलन दास के साथ रहने लगी। दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था, और अंतत: 27 फरवरी को हुए झगड़े में मिलन दास ने अपनी कथित प्रेमिका शशि कला को पीट-पीट कर मार डाला। हत्या के बाद, मिलन दास ने अपने ड्राइवर की मदद से शव को गाड़ी में रखा और रावा के नजदीक राम टोक पहाड़ पर ले जाकर जलाने का प्रयास किया। हालांकि, लाश पूरी तरह जल नहीं पाई और पुलिस को शव बरामद हुआ।

शशि कला के भाई अशोक गौड़ ने बताया कि वह अक्सर कटघोरा जाकर अपनी बहन से मिला करता था। 27 फरवरी को भी वह अपनी बहन से मिलने गया, लेकिन वह नहीं मिली। जब उसने मिलन दास से पूछा, तो उसने भी अनभिज्ञता जताई। जब अशोक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही, तो मिलन दास ने उसे रोकने की कोशिश की। बावजूद इसके, अशोक ने पुलिस को बहन के लापता होने की सूचना दे दी।

बाद में, जब पहाड़ पर मिली अधजली लाश की पहचान के लिए मृतका के हाथ में पहने गए ब्रेसलेट और अन्य चीजें दिखाई गईं, तो अशोक ने तुरंत उसे पहचान लिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिक्षक मिलन दास को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ हत्या और शव को नष्ट करने के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य सबूत एकत्र कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।